

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)

दां0प्र0क0-70 / 16
संस्था0दि0 26 / 02 / 16

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

:- विरुद्ध :-

प्रभु पिता बुधिया, उम्र 60 वर्ष,
जाति मेहरा, पेशा मजदूरी, निवासी जम्बाडा,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियुक्त**

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 15 / 07 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 354 के तहत अभियोग है कि दिनांक 10.02.16 समय शाम 7:30 बजे करीब फरियादी काजल को, जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- 2— प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 15 / 07 / 16 को अभियुक्त और फरियादी काजल के बीच राजीनामा होने से आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-294, 323(दो बार) एवं 506 भाग-2 का अपराध राजीनामा योग्य होने से अभियुक्त को भा0दं0वि0 की धारा 294, 323 (दो बार) एवं 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 10 / 02 / 16 को करीब शाम साढ़े सात बजे लेटीरिंग से घर वापस आ रही थी, तभी आरोपी उसकी बाड़ी में मिला और पिछे से आकर उसे पकड़ लिया उसके दोनों हाथों से उसकी छाती को बुरी नियत से छूने लगा वह जोर से चिल्लाई तो उसकी माँ मीना आवाज सुनकर दौड़ कर पिछे बाड़ी में आई और उसकी माँ बचाने लगी तो उसे और उसकी माँ को माँ बहन की नंगी-नंगी गालियाँ देकर हाथ थप्पड़ से मारपीट करने लगा जिससे उसकी माँ को बाँए पैर में चेहरे पर चोट आई है। आरोपी ने उसके साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ किया है एवं माँ बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देकर मारपीट की है। आरोपी ने जाते-जाते धमकी दी, कि तूम लोग रिपोर्ट करने गये, तो तूम लोगों को जान से खत्म कर दूंगा। वह और उसकी माँ रिपोर्ट करने थाना आई है। रिपोर्ट करती

हूँ कार्यवाही की जावे।

4— फरियादी का लिखित आवेदन प्र0पी0 1 है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट रिपोर्ट प्र0पी0 2 है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अप0कं0-48/16 भा.द.सं. धारा-354, 294, 323, 506 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 11/02/16 को नक्शा मौका प्र0पी0 3 तैयार किया गया। फरियादी व आहत का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

5— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1— “क्या दिनांक 10.02.16 समय शाम 7:30 बजे करीब फरियादी काजल को जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

7— अभियोजन साक्षी काजल (अ0सा0 01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना ग्राम जम्बाडा स्थित उसके घर के पिछे की शाम लगभग 7 बजे की थी। वह पिछे लेटरिंग करके घर वापस आ रही थी तो आरोपी भी उसके पिछे आ रहा था। आरोपी पिछे से आया और पिछे से उसे पकड़ लिया था तो उसने उसकी मम्मी को आवाज लगाई। उसे पिछे से पकड़कर उसे झंझोड़ दिया था। आरोपी के हाथों से उसकी टी शर्ट फट गई थी। फिर वह सामने आई तो आरोपी लकड़ी लेकर मुझे मारने आ गया, फिर वह उसी हालत में शिकायत करने थाना आई थी जो उसका लिखित आवेदन प्र0पी0 1 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 लेखबद्ध की थी जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी ने उसकी मम्मी के साथ मारपीट किया था जिसका चिकित्सा परीक्षण हुआ था। उसने उसका चिकित्सा परीक्षण कराने से मना कर दिया था। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना नक्शा मौका प्र0पी0 3 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आगे इस गवाह ने प्रश्न किया गया कि झंझोड़ दिया का क्या अर्थ है तो साक्षी ने उत्तर दिया कि आरोपी ने मेरे टी शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया था जिससे टी शर्ट फट गई थी।

8— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने मेरे साथ बुरी नियत से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की। शासन की ओर से पक्षविरोधी कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है

कि दिनांक 10/02/16 को आरोपी प्रभु ने बुरी नियत से मेरा छाती को छुआ था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। यह गवाह स्वयं फरियादी है। इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0द0वि0 की धारा-354 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

9- अभियोजन साक्षी (अ.सा.2) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न में घटना घटित होने तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10- उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी काजल को जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

11- उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी काजल को जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार अभियुक्त प्रभु को भा0द0वि0 की धारा-354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12- प्रकरण में आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13- प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0